न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश, चम्पावत।
उपस्थितः श्रीमती कहकशा खान (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 79/2022
(कम्प्यूटर जेनरेटेड फाइलिंग नं0–236/2022 तथा रजिस्ट्रेशन नं0–79/2022)

सूरज सौन, उम्र–23 वर्ष, पुत्र श्री राम प्रकाश सौन, निवासी ग्राम–चामी तामली, थाना–मंच तामली, तहसील व जिला–चम्पावत।

....अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तराखण्ड।

अभियुक्त के अधिवक्ता–श्री आर0एस0 बिष्ट,
प्र0 विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो)–श्री आर0सी0 उप्रेती,
पीड़िता की पैनल अधिवक्ता–श्रीमती मनीषा उप्रेती।

मु0एफ0आई0आर0 सं0– 41/2022,
धारा–363, 376 (2) (i), 504 भा0दं0सं0 व
धारा–3/4 लैंगिक अपराधों
से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 व
धारा–3 (2) (5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
थाना कोतवाली–चम्पावत, जिला–चम्पावत।

<u>आदेश</u>

1. अभियुक्त की ओर से उसके पैरोकार राम प्रकाश सौन द्वारा थाना कोतवाली–चम्पावत, जिला–चम्पावत में पंजीकृत अभियोग मुकदमा एफ0आई0आर0 संख्या–41/2022, अंतर्गत धारा–363, 376 (2) (i), 504 भा0दं0सं0 व धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अपराध में अभियुक्त सूरज सौन की जमानत चाहने हेतु जमानत प्रार्थना पत्र '3ख' प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त की ओर से एक अन्य प्रार्थना पत्र '7ख' इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि थाना पुलिस चम्पावत द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि मामले में

एस0सी0/एस0टी0 एक्ट की धारा–3 (2) (5) की बढ़ोत्तरी की गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार हुए लगभग 03 सप्ताह का समय व्यतीत हो चुका है। पीड़िता ने अपने धारा–164 दं0प्र0सं0 के बयानों में किसी भी प्रकार के लैंगिक अपराध की पुष्टि नहीं की है, जिससे संपूर्ण एफ0आई0आर0 दूषित व संदिग्ध हो गई है। पुलिस जानबूझकर अभियुक्त की जमानत में अड़ंगा लगा रही है, पुलिस को पूर्व से ही ज्ञात है कि पीड़िता व रिपोर्टर अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, परन्तु महज अभियुक्त को जेल में रखने के लिए उक्त अपराध की बढ़ोत्तरी की गई है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र के साथ उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित धारा–3 (2) (5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट पर भी सुनवाई कर आदेश पारित कर दिया जाये।

2. अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादिनी ने एक तहरीर थाना कोतवाली चम्पावत में दिनांक 21–08–2022 को इस आशय की प्रस्तुत की थी कि लगभग तीन महीने पहले उसकी पुत्री काफल तोड़ने गई थी। छतार पुल पर उसे कार में सूरज सौन मिला और वह उसे बहला–फुसलाकर गाड़ी से ललुवापानी ले गया। सूरज सौन ने उसकी पुत्री को शराब पिलाकर उसके साथ गलत काम किया। इस दौरान कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उसकी पुत्री का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। उसकी पुत्री को आये दिन वीडियो वायरल करने के नाम से धमकाया जाता है तथा अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। अतः प्रार्थना की गई कि रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की जाये।

3. प्रार्थी/अभियुक्त ने जमानत प्रार्थना पत्र में यह उल्लिखित किया है कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है। उसके द्वारा पीड़िता के साथ कोई अपराध नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है और न वादी मुकदमा द्वारा अपनी पुत्री के साथ अभियुक्त द्वारा कथित अपराध कारित करने का कोई उल्लेख है और न ही कोई साक्ष्य मौजूद है। अभियुक्त एक नव–युवक है, वह किसी मामले में वांछित व सजायाफ्ता नहीं है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त दिनांक 20–07–2022 से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो

उसके भागने का कोई अंदेशा नहीं है और न ही जमानत का कोई दुरुपयोग करेगा।

कानूनी पैरोकार द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अभियुक्त का न्यायालय में यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा, जमानत का प्रार्थना–पत्र भारत के किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

4. पीड़िता की ओर से विद्वान पैनल अधिवक्ता श्रीमती मनीषा उप्रेती ने **आपत्ति '14ख'** प्रस्तुत कर कथन किया कि पीड़िता नाबालिग है, जो अनुसूचित जाति की है। उसके साथ नशीला पदार्थ खिलाकर लैंगिक हमला कारित किया गया है। पीड़िता मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिये जाने से पूर्व दबाव में थी। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह पीड़िता व उसके परिवारवालों को डरा–धमका सकता है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

5. जमानत प्रार्थना पत्र पर संबंधित थाना कोतवाली चम्पावत से प्राप्त आख्या में तहरीर के कथनों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया गया कि वादिनी की तहरीर के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध एफ0आई0आर0 नं0–41/2022, अंतर्गत धारा–363, 366 (3), 504 भा0दं0सं0 व धारा–3/4 पॉक्सो अधिनियम में पंजीकृत हुआ। दौराने विवेचना पीड़िता के धारा–164 दं0प्र0सं0 के बयान व गवाहों के बयानों व पीड़िता के पिता द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पीड़िता के अनुसूचित जाति की होने के कारण अभियोग में धारा–3 (2) (5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। रिपोर्ट 03 माह बाद इसलिए लिखाई गई है कि पीड़िता द्वारा अभियुक्त के डराने की वजह से अपने घर वालों को घटना के बारे में काफी विलम्ब से घटना की जानकारी दी गई। जब घटना का वीडियो वायरल हुआ, तब उसके घर वालों के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई। पीड़िता नाबालिग है, उसने अपने धारा–161 दं0प्र0सं0 के बयानों में अभियुक्त द्वारा लैंगिक अपराध किये जाने की बात अंकित की है। वादिनी मुकदमा द्वारा वायरल वीडियो की डीवीडी विवेचना के दौरान आई0ओ0 को उपलब्ध कराई गई है, जिसे विवेचना का भाग बनाया गया है। पीड़िता ने अपने बयानों में घटना का दिनांक व नाम का उल्लेख किया है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो

उसके द्वारा धन–बल का लालच देकर व डरा–धमका कर पीड़िता व गवाहों को अपने पक्ष में कर सकता है, जिससे विवेचना में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अभियुक्त के रिहा होने पर उसके नेपाल भागने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता, अतः जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों एवं केस–डायरी का सम्यक रूप से अवलोकन व परिशीलन किया।

7. अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता महोदय ने तर्क प्रस्तुत किया कि वादिनी मुकदमा की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर में घटना का कोई दिनांक अथवा समय अंकित नहीं है। एफ0आई0आर0 दिनांक 21–08–2022 को दर्ज कराई गई है, जिसमें 03 माह पूर्व की घटना दिखाई गई है व तथाकथित रूप से वीडियो वायरल होने के उपरांत यह एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई है अर्थात ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई थी। मात्र वीडियो वायरल होने के पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध झूठी एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई है। एफ0आई0आर0 दर्ज कराने में लगभग 03 माह के विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। तथाकथित पीड़िता के मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष धारा–164 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत जो बयान दर्ज हुए हैं, उनमें पीड़िता ने अभियुक्त द्वारा स्वयं के साथ कोई लैंगिक हमला कारित करने से इन्कार किया है। जिस मोबाईल से तथाकथित वायरल वीडियो बनाई गई थी उसे पुलिस द्वारा आज तक बरामद नहीं किया गया। पीड़िता, अभियुक्त को जानती ही नहीं थी और घटनास्थल पर उसकी मॉ नहीं थी, इसलिए मॉ के बयानों का कोई महत्व नहीं रह जाता। तथाकथित वायरल वीडियो में अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ लैंगिक हमला कारित करने का कोई कृत्य दिखाई नहीं दे रहा है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। तथाकथित घटनास्थल से जो गद्दा व कपड़े जंगल से बरामद किया जाना पुलिस बताती है, वे किसी के भी हो सकते हैं। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विवेचक ने एकत्रित किया है, वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ग्राह्य नहीं है और इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि साक्ष्य से सीधे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, न ही वह मूल रूप से जिस मोबाईल से तथाकथित वीडियो बनाई गई थी, उससे लिया गया है। धारा–53 भारतीय

साक्ष्य अधिनियम के अनुसार फौजदारी वादों में अभियुक्त का पूर्व आचरण सुसंगत तथ्य है और स्वीकृत रूप से अभियुक्त के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। ऐसा कोई साक्ष्य पुलिस के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है कि पीड़िता को अभियुक्त की ओर से इन पिछले 4–5 महीने में डराने–धमकाने की कोई कोशिश की गई हो। आज जो पीड़िता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र के विरुद्ध आपत्ति दाखिल की गई है, उसमें पीड़िता को नशीला पदार्थ खिलाकर उस पर लैंगिक हमला किये जाने का कथन किया गया है, जो कि एक बिल्कुल नई बात कही जा रही है, विवेचना में विवेचक ने ऐसा कोई तथ्य नहीं उठाया है। आपत्ति के साथ पीड़िता के अभिभावक का भी कोई हलफनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः पीड़िता की आपत्ति के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र खारिज नहीं किया जाना चाहिए। अभियुक्त 01 महीने से जेल में है व माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **महेश्वर टिग्गा बनाम झारखण्ड राज्य, फौजदारी अपील सं0–635/2020 में पारित निर्णय दिनांकित 28–09–2020** में यह निर्णीत किया है कि अन्धा प्रेम के वशीभूत होकर दी गई सहमति धारा–90 के अर्थों में तथ्य के भ्रम में दी गई सहमति नहीं होती है। इस मामले में भी पीड़िता की आयु 14 वर्ष बताई गई थी, किन्तु अभियोक्त्री ने जिरह में यह बयान दिया था कि ऐसी कोई घटना ही नहीं घटी थी। अभियुक्त व अभियोक्त्री के मध्य शारीरिक संबंध थे और अपने बयान में घटना के समय अभियोक्त्री ने अपनी उम्र 16 वर्ष बताई थी, किन्तु बाद में स्वयं संशोधन कर उसने 13 वर्ष बताई। अन्य साक्ष्य में भी उसकी उम्र के संबंध में अनेक विभिन्नतायें थीं और विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोक्त्री ने अपनी उम्र 20 वर्ष बताई। किसी भी सक्रिय साक्ष्य के अभाव में घटना के समय अभियोक्त्री की उम्र 18 वर्ष से अधिक होने से इन्कार नहीं किया जा सकता, इसलिए सन्देह का लाभ अभियुक्त को दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य न्यायनिर्णय को भी इस निर्णय में उद्धृत किया, जिसमें यह अवधारित किया गया था कि जहां पक्षों के बीच संबंध प्रेम–प्रसंग के कारण बने थे, शारीरिक संबंधों के साथ–साथ अनेक वर्षों से उनके संबंध कायम थे, संबंध प्रकृति में सहमतिजन्य थे, किन्तु वैवाहिक रिश्ता नहीं बन पाया था तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा–482 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाहियों को निरस्त कर दिया था। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. राज्य सरकार की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वीडियो रिकॉर्डिंग साक्ष्य का विषय है, वह सही है अथवा गलत, उस पर अभी से अवधारणा नहीं की जा सकती। पीड़िता महज 13–14 वर्ष की बालिका है, उसकी सहमति का कोई अर्थ नहीं है। धारा–164 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत पीड़िता ने बयान दबाव में दिये थे, यह विवेचक ने उसके मजीद बयानों में केस–डायरी में अंकित किया है। जमानत के स्तर पर धारा–161 दं0प्र0सं0 के बयानों को पढ़ा जायेगा। अतः जमानत प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

9. पीड़िता की ओर से पैनल अधिवक्ता श्रीमती मनीषा उप्रेती ने निवेदन किया कि अभियुक्त को यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह पीड़िता एवं गवाहों पर अनुचित दबाव बनायेगा, अतः जमानत प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

10. केस–डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि तहरीर दिनांक 21–08–2022 को पीड़िता की माता द्वारा पुलिस को इन कथनों के साथ दी गई कि लगभग 03 माह पूर्व उसकी नाबालिग बेटी, उम्र 14 वर्ष, काफल तोड़ने गई थी। छतार पुल पर उसे कार में सूरज सौन पुत्र राम प्रकाश सौन मिला। उसकी बेटी को बहला–फुसलाकर ललुवापानी गाड़ी से लेकर गया। सूरज सौन द्वारा उसकी बेटी को शराब पिलाकर उसके साथ गलत काम किया गया। इसी दौरान कुछ अज्ञात व्यक्ति वहां पर आ गये और उसकी बेटी की वीडियो बना ली तथा वीडियो को वायरल कर दिया। उसकी बेटी को आये दिन वीडियो वायरल करने की धमकी दी जाती है तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस बात की जानकारी होने पर वह रिपोर्ट लिखाने आई है। उपरोक्त एफ0आई0आर0 धारा–363, 376 (2) (1), 504 भा0दं0सं0 व धारा–3/4 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 21–08–2022 को दर्ज कर विवेचना प्रारम्भ की गई। पीड़िता के विवेचक ने केस–डायरी में दिनांक 21–08–2022 को ही बयान दर्ज किये, जिनमें पीड़िता ने अपनी आयु 14 वर्ष व घटना दिनांक 28–05–2022 की बताई। घटना के दिनांक पर वर्तमान अभियुक्त के साथ एक अन्य व्यक्ति पवन धौनी का नाम लेते हुए बताया कि वह काफल तोड़ने गई थी, जब वह पैदल–पैदल अपने घर वापिस लौट रही थी तथा छतार पुल पर पहुॅची, तो कार में पवन धौनी और सूरज सौन था। पवन ने पूछा कहां से आ रही है, तो उसने बोला काफल तोड़ने गई

थी, घर जा रही हूँ। सूरज सौन ने घर छोड़ने के लिए कहा, तो उसके मना करने पर कि वह छोड़ देते हैं और उसे बहला–फुसलाकर गाड़ी में बैठाया। गाड़ी सूरज चला रहा था तथा गाड़ी में उसे घूमकर आते हैं, कहकर बनलेख ले गये, जहां एक छोटे होटल में तीनों ने खाना खाया। पवन और सूरज ने शराब पी रखी थी। सूरज सौन ने उसे भी शराब पिलाई, जिसे पीकर उसका सिर घूमने लगा। उसके बाद सूरज उसे लेकर पवन के साथ ललुवापानी गया। पवन को काफी नशा हो गया था, वह कार में सो गया। ललुवापानी में सूरज ने रोड में गाड़ी रोकी और कार से उतरकर जबरन उसे जंगल में लेकर गया और जंगल में एक चादर बिछायी, जिस पर उसे लिटाया, उसके नीचे शरीर के कपड़े उतारे। उसके बाद जबरन उसके साथ गलत काम (Sex) किया, जिसका वह विरोध करना चाह रही थी, लेकिन वह नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे नशा हो रहा था। उसके बाद वहां पर ललुवापानी के लड़के दौड़ते हुए आ गये और बोले तुम लोग ये क्या कर रहे हो और वीडियो बना ली। वीडियो बनाने वाला मनीष बिनवाल था। उसके बाद सूरज उसे कार में ले गया और उसे नींद आ गई। दूसरे दिन उसकी नींद खुली, तो उसने सूरज की कार में स्वयं को कार में तथा कार को घर के पास पाया, जहां से वह अपने घर चली गई और अपनी मम्मी के पूछने पर बताया कि वह अपने दोस्त के यहां थी, तो उसकी मम्मी ने उसे डांटा। उसकी मम्मी को बाहर के लोगों से बाद में पता चला। पवन धौनी द्वारा स्वयं के साथ गलत काम करने से पीड़िता ने इन्कार किया, किन्तु मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा–164 द0प्र0सं0 के अंतर्गत जब पीड़िता के बयान दर्ज हुए, जिसे विवेचक ने केस–डायरी में अंकित किया है, तो मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष पीड़िता ने ये बयान दिये कि पवन धौनी और सूरज सौन उसे छतार पुल से गाड़ी में ले गये थे। उनके कहने पर वह गाड़ी में बैठ गई थी, फिर वे उसे घूमने को कहकर बनलेख ले गये। जहां एक छोटे गाड़ी वाले होटल में तीनों ने खाना खाया। पवन और सूरज ने शराब पी, उन्होंने उसे भी शराब पीने के लिए कहा, किन्तु उसने शराब नहीं पी थी। फिर वे तीनों ललुवापानी की ओर चले गये। वहां तीनों पार्क/जंगल जैसी जगह में बैठ गये। वहां बहुत सारे लड़के पहले से थे, उन लड़कों ने उनकी वीडियो बना ली और गलत–गलत बातें बोलने लगे। उसके साथ पवन और सूरज ने कोई गलत काम नहीं किया था। वीडियो बनाने वाले लड़कों ने उसकी वीडियो बनाकर सब

लड़कों को भेज दी थी, जिस पर सभी उस पर गलत–गलत कमेन्ट्स करते और वह बस यह चाहती है कि वीडियो आगे न जाये। उसे इस बात पर कोई कार्यवाही नहीं चाहिए, क्योंकि वीडियो बनाकर उसकी झूठी बदनामी करने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

11. उपरोक्त बयान केस–डायरी में दिनांक 23–08–2022 को विवेचक ने बाद अवलोकन अंकित किये हैं। पीड़िता का दिनांक 21–08–2022 को मैडिकल परीक्षण भी कराया गया, जिसमें पीड़िता द्वारा डॉक्टर को स्वयं को कोई ड्रिंक पिलाने और बेहोश होने जैसी बात बताई तथा ललुवापानी ले जाने और लैंगिक हमले बाली बात बताई। डॉक्टर ने जिला अस्पताल के पर्चे में घटना का दिनांक 28–05–2022 व परीक्षण के दिनांक पर हाईमन टूटा हुआ पाया जाना लिखा है। विवेचना के दौरान विवेचक ने पीड़िता के मजीद बयान दिनांक 29–08–2022 को दर्ज किये हैं, जिसमें पीड़िता ने विवेचक को यह बयान दिया है कि सूरज सिंह सौन ने उसके साथ गलत काम किया है व न्यायालय में जो बोला वह गलत है, वह घबरा गई थी, उस पर लोगों ने भी दबाव बनाया था।

12. दौराने विवेचना पीड़िता के अनुसूचित जाति का होना पाये जाने पर धारा–3 (2) (5) एस0सी0एस0टी0 अधिनियम भी जोड़ी गई।

13. दिनांक 15–09–2022 की जी0डी0 के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त सूरज सौन के साथ पवन धौनी को भी अभियुक्त बनाया गया है और धारा–34 भा0दं0सं0 की बढ़ोत्तरी मामले में करते हुए पवन धौनी के विरुद्ध धारा–17 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई है। साथ ही, वीडियो वायरल करने के आरोप में मनीष बिनवाल के विरुद्ध धारा–67बी आई0टी0 एक्ट व धारा–14 पॉक्सो अधिनियम की बढ़ोत्तरी कर विवेचना की जा रही है। डी0वी0डी0 सील अवस्था में पेश की गई थी, जिसे इस न्यायालय द्वारा खोला नहीं गया, क्योंकि उस पर हैश वैल्यू आदि अंकित नहीं थी। वायरल वीडियो का डाटा विवेचक ने डी0वी0डी0 में जिस लैब से ट्रांसफर कराया है, उक्त लैब का धारा–65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है। यद्यपि डी0वी0डी0 पर इस स्तर पर कोई टिप्पणी किया जाना यह न्यायालय उचित नहीं पाता, क्योंकि उसकी साक्ष्य में ग्राह्यता भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देखी जायेगी, किन्तु पीड़िता के आयु के संबंध में स्कूल का प्रमाण पत्र

दाखिल किया गया है, उससे प्रथम दृष्टया पीड़िता नाबालिग परिलक्षित होती है और मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये बयानों में पीड़िता ने ऐसा नहीं कहा है कि अभियुक्त उसे घटना के दिनांक पर अपने साथ कहीं न ले गया हो। मजीद बयानों में मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये बयानों को दबाव में देना बताया है। विवेचना अभी लम्बित है। अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप गम्भीर प्रकृति के हैं व इस स्तर पर अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने से विवेचना के विपरीत रूप से प्रभावित होने की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत न्यायनिर्णय के तथ्य वर्तमान वाद से भिन्न हैं। अतः जमानत प्रार्थना पत्र इस स्तर पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तद्नुसार, अभियुक्त सूरज सौन द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र '3ख' व '7ख' खारिज किये जाते हैं।

दिनांक 21–09–2022

(कहकशा खान)
विशेष सत्र न्यायाधीश,
चम्पावत।